सत्यमेव जयते

| राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
| --- | --- |
| साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |

आषाढ़ 12, बुधवार शाके 1941–जुलाई 3, 2019

*Asadha 12, Wednesday, Saka 1941–July 3, 2019*

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

**पंचायती राज विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 03, 2019**

**संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन / विधि / पंरा / 2019 / 648** :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-12 एवं 102 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभागीय अधिसूचना एफ.15 (1) पुनर्गठन/ विधि/ पंरा/2019/513 दिनांकः 12.6.2019 के अनुसरण में जिला कलेक्टर्स द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/ नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने के परिणामस्वरूप पुनर्गठित/ पुनर्सीमांकित/ नवसृजित ग्राम पंचायतों हेतु तीन हजार तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में कम से कम पांच वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में जिसकी जनसंख्या तीन हजार से अधिक है, तीन हजार से अधिक के प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए, पांच की उक्त संख्या में दो की बढोतरी कर दी जायेगी ।

**आज्ञा से,**

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर,

**शासन सचिव एवं आयुक्त।**



राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।